न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 81 वर्ष 2024

आवेदन/आवेदिका–भगिया देवी
ग्राम– होसिर पूर्वी टोला–तेतरियाटांड
थाना– गोमिया जिला–बोकारो

केता– सुरत केवट
ग्राम– साड़म
थाना– गोमिया जिला–बोकारो

देश की क0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के 03
22/2/25	(see below)	

आदेश

यह वाद आवेदक–भगिया देवी पति–स्व0 भूखन केवट, ग्राम– होसिर पूर्वी टोला–तेतरियाटांड, थाना– गोमिया, जिला– बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
होसिर	123	507	5142	17½डी0	03¼डी0	परती

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो0 1,40,000/–(एक लाख चालिस हजार) रूपये में केता–सुरत केवट, पिता– स्व0 बढन केवट, ग्राम– साड़म, थाना–गोमियो, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 497/रा0, दिनांक 13.04.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गेमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–51, दिनांक–08.01.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिकेता एंव केता दोनों केवट जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग जाति के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एंक ही थाना एंव जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में बकास्त लगाान सरकारी अभिलेख ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0–119, भौलुम सं0–13 में वंषी केवट, भुखल केवट, पंचु केवट के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–1996–97 से 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला हैं।
03. खतियानधारी (जमाबंदीदार) रैयत से बिकेता का संबंध पत्नी का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में बकास्त लगाान सरकारी अभिलेख ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0–119 भौलुम सं0–13 में वंषी केवट, भुखल केवट, पंचु केवट के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–1996–97 से 2023–24 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैः–

01. बिकेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

05. दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता एंव केता दोनों केवट जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग जाति के श्रेणी के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एंक ही थाना एंव जिला–बोकारो के निवासी हैं।आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो पैतृक के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता हेतु बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक– भगिया देवी पति–स्व0 भूखन केवट, ग्राम– होसिर पूर्वी टोला–तेतरियाटांड, थाना– गोमिया, जिला– बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पू0 सीमा	प0 सीमा
होसिर 123	507	5142	17½ डी0	03¼ डी0	पंचु केवट	जगदानन्द प्रसाद	नीज रास्ता	मिराजउद्दीन वर्गी0
			कुल	03¼ डी0 (तीन पूर्णाक एक बटा चार डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 1,40,000/–(एक लाख चालिस हजार) रूपय या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता– सुरत केवट, पिता– स्व0 बढन केवट, ग्राम– साड़म, थाना–गोमियो, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

22.2.2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

22.2.2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.09.02 16:06:26 +05:30
Location: 10.93.6.142